



एरोड्रोम सुरक्षा विभाग, प.क्षे.
DEPT. OF AERODROME SAFEGUARDING

अंतरकार्यलय टिपणी / INTER OFFICE NOTE

संख्या : भाविप्रा/क्षे.मु./प.क्षे./ डी.ओ.ए.एस./आरटीआई/केस -57/2025 /17 दिनांक : 21/02/2025

विषय: श्री सुरेश रघुनाथ गायकवाड द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र के संदर्भ में।

संदर्भ: (1) PIO, WR email dated 4 February 2025 5:37 PM
(2) RTI application No.Nil dated 23/01/2025.

Point wise reply to the RTI Application is as under:-

Point No.4	Reply
1 to 4	आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के खंड 2 (एफ) के तहत योग्य नहीं है। Information sought by the RTI Applicant is does not qualify under clause of 2 (f) of Right to Information Act 2005.

(प्रमोद के. सिन्हा)
उप महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे.
एरोड्रोम सुरक्षा विभाग, प.क्षे.
कृते महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे.

[Through: GM (ATM) WR]

To,

PIO, WR